(85)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल, ग्वालियर

R 1136-PBR/17

COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES

श्री दिवाकर दीक्षित अधि०
द्वारा आज दि. 12-4-17
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 12-4-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्री कैलाश मालवीय आयु करीब 56 वर्ष
वल्द श्री फूलचंद मालवीय निवासी–ग्राम रायपुर
तहसील व जिला होशंगाबाद——————————————————याचिकाकर्ता

बनाम

1. नीता पुत्री श्री विजय शंकर
   निवासी ग्राम रायपुर तहसील व जिला होशंगाबाद
2. ज्योति पुत्री श्री विजय शंकर
   निवासी पटैलगड़ी ग्राम पंचायत रायपुर
   तहसील व जिला होशंगाबाद
3. श्रीमान अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय
   अधीक्षक भू अभिलेख होशंगाबाद——————————————————उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता :–

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान अधीक्षक महोदय भू–अभिलेख होशंगाबाद द्वारा सीमांकन प्रकरण क्र. 947–अ/2016 दिनांक 27.06.2016 जिसकी जानकारी याचिकाकर्ता को हाल ही में उक्त सीमांकन की प्रमाणित प्रतिलिपि के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति दिनांक से प्रस्तुत याचिका विधि द्वारा विहित परिसीमा के भीतर प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1136–पीबीआर/2017 **जिला होशंगाबाद**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.4.2017	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन व ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीक्षक, भू–अभिलेख, होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–6–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जो इस न्यायालय में सात माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में सीमांकन कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 10–4–17 को प्राप्त होना बताया गया है, जबकि अधीक्षक द्वारा आवेदक की उपस्थित में सीमांकन कार्यवाही की गई है । अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से यह निगरानी समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	